



उत्तराखण्ड
UTTARAKHAND

"प्रारूप 26"

(नियम 4 का देखिए)

14- हनोहरी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तरखण्ड विधान सभा के लिये निर्वाचन के लिये इटनिंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।

शपथ-पत्र

पुत्रजयशी राम रिह

आयु— 62 वर्ष, जो ग्राम— मध्यलाली, पट्टी— दुर्गमस्तुला, लाहसील— हनोहरी, जिला— टिहरी गढ़वाल का निवासी हूँ, का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

1— मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया है/ किए गये हैं-

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- i— मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं— लोगू नहीं,
- ii— पुलिस थाना— ✗, जिला— ✗ राज्य— ✗

Lokpal

क्रमशः—2—पर

-2-

- iii— सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है— लागू नहीं।
- iv— न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई— लागू नहीं।
- v— तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किए गये थे— लागू नहीं।
- vi— क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है— नहीं।
- 2— मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम—1951) (1951 का 43) की धारा—8 की अधारा (1) या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, और वर्ष या अधिकारी के लिये कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है। लागू नहीं।
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):

- i— सम्बन्धित प्रश्न सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं— लागू नहीं,
- ii— न्यायालय, जिसने दण्डित किया है— लागू नहीं,
- iii— पुलिस थाना (थाने)— लागू नहीं, जिला (जिलों)-लागू नहीं राज्य— लागू नहीं,
- iv— सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है— लागू नहीं।
- v— तारीख (तारीखें) जिनको आरोप दण्डादेश सुनाया गया था/ सुनाए गये थे— लागू नहीं।
- vi— क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/ रोके गये हैं— लागू नहीं।

स्थान— नई टिहरी।
तारीख— 10-1-2012

अभिसाक्षी
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र के अन्तर्वर्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है, और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान नई टिहरी, दिनांक— 10-1-2012 को सत्यापित किया।

[Signature]
Anup Singh Bisht
नाम: अनुप सिंह बिश्ट दिनांक: 10-1-2012